संख्या-32 /2023/भा0स0-101/नौ-9-2023-008-E-1662732

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2023

विषय:- स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत झांसी शहर हेतु धनराशि रू0 98.00 करोड़ अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, स्मार्ट सिटी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रों संख्या-K-15016/154(5)/2015-SC-I, दिनांक 16.08.2023 एवं संख्या-K-15016/154(5)/2015-SC-I, दिनांक 16.08.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत झांसी शहर हेतु केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश **कुल धनराशि रू0 98.00 करोड़ (रू0 अठ्ठानबे करोड़ मात्र)** निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	स्मार्ट सिटी का नाम	केन्द्रांश		मैचिंग राज्यांश		योग
		प्रोजेक्ट फण्ड	ए0एण्डओ0ई0	प्रोजेक्ट फण्ड	ए0एण्डओ0ई0	
1	झांसी	46.50	02.50	46.50	02.50	**98.00**

(रू0 अठ्ठानबे करोड़ मात्र)

नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे स्मार्ट सिटी, झांसी के एस0एन0ए0 एकाउन्ट में अन्तरित की जाएगी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रश्नगत धनराशि स्मार्ट सिटी, झांसी द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वितीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(5) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी नगर आयुक्त द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(6) उपरोक्त स्मार्ट सिटी के लिए अवमुक्त केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि का उपभोग के समय भारत सरकार की गाइड-लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा

A.K. SCM Mangal Ou

कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(8) निकाय द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय **(1) रुपये 49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510112 झांसी, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान **(2) रुपये 49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050518912 झांसी, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या-E-9-191-X-2023-24, दिनांक- 30 अगस्त, 2023** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

__संख्या- 32 /2023/भा0स0-101/नौ-9-2023-008-E-1662732, तद् दिनांक।__

__प्रतिलिपि__ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- नगर आयुक्त, नगर निगम/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, झांसी।
10- एस0पी0वी0, झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
11- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

A.K. SCM Mangal Go

स्वीकृति आदेश संख्या: 008-E-1662732 **स्वीकृति तिथि:** 29/08/2023
यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-008-E-1662732
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217050518912 - झांसी, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
योग :	**4,900.00**	**4,900.00**	**4,900.00**	**4,900.00**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees)

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 008-E-1662732 **स्वीकृति तिथि:** 29/08/2023
यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-008-E-1662732
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग
लेखाशीर्षक: 2217050510112 - झांसी, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
योग :	**4,900.00**	**4,900.00**	**4,900.00**	**4,900.00**

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव